

निगम भिलाई में जनदर्शन का आयोजन, नागरिकों की मांग एवं शिकायतों से संबंधित 16 आवेदन प्राप्त

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रांतर्गत निवासरत नागरिकों की मूलभूत समस्याओं, मांगों एवं शिकायतों के त्वरित निराकरण के उद्देश्य से आज निगम मुख्य कार्यालय के सभागार कक्ष में दिनांक 12 अक्टूबर 2026 को जनदर्शन आयोजन किया गया। निगम आयुक्त सुरुचि सिंह के निर्देशानुसार उपायुक्त नरेन्द्र कुमार बंजारे की उपस्थिति में आयोजित जनदर्शन में निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों से पहुंचे नागरिकों ने अपनी समस्याओं एवं मांगों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। जनदर्शन में कुल 16 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें शिकायत से संबंधित 13 एवं मांग से संबंधित 3 आवेदन शामिल हैं। जनदर्शन के दौरान उपायुक्त ने नागरिकों की समस्याओं एवं मांगों को गंभीरतापूर्वक सुना। उन्होंने प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार परीक्षण कर संबंधित विभागों के माध्यम से शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान करना नगर निगम की प्राथमिकता है। जनदर्शन में प्राप्त प्रत्येक आवेदन को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, ताकि नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। नगर निगम द्वारा नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक सोमवार को निगम मुख्य कार्यालय में जनदर्शन आयोजित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को अपनी मांग एवं शिकायत सीधे निगम प्रशासन के समक्ष रखने का अवसर प्रदान करना है। जनदर्शन के माध्यम से नागरिक अपनी समस्याओं से निगम प्रशासन को अवगत कराते हैं, जिसके आधार पर संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

निगम प्रशासन द्वारा नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने तथा जनसमस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को भेजकर उनका परीक्षण कराया जाएगा तथा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम भिलाई ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी मांगों एवं समस्याओं के निराकरण के लिए प्रत्येक सोमवार को आयोजित जनदर्शन में उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। निगम प्रशासन का प्रयास है कि नागरिकों की समस्याओं का पारदर्शिता एवं समयबद्ध तरीके से निराकरण हो तथा आम जनता को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

